

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	उमरिया जिले में कटनी-उमरिया-शहडोल-अनूपपुर से मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-78 को 2 लेन एवं पेव्ड शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु 22.287 हेक्टेयर वन भूमि एवं 7.136 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि, कुल 30.423 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. शहडोल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

तिथि: 15.06.2016

स्थान: भोपाल


(एस. के. मण्डल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल